प्रेस नोट
दिनांक 15.09.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा 02 अन्तर्जनपदीय वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 अदद मोटरसाइकिलें बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों–01. विष्णु यादव पुत्र राधेश्याम यादव, 02. अलखराम उर्फ सुत्तन यादव पुत्र दूधनाथ को आईटीआई मोड़ मनकापुर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 05 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 14.09.2025 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक उमेश सिंह मय टीम द्वारा रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आई0टी0आई0 मोड़ मनकापुर से दो शातिर वाहन चोरों–विष्णु यादव व अलखराम उर्फ सुत्तन यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयीं। पूछताछ के आधार पर अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम महेवानानकार स्थित आम की बाग से 03 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताँछ का विवरण–
गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताँछ में बताया गया कि वह अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने हेतु मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। बरामद मोटरसाईकिलों को हमलोगो ने अपने साथी अभियुक्त अमित वर्मा व महेन्द्र यादव के साथ मिलकर लखनऊ, झिलाही बाजार, वजीरगंज व बलरामपुर क्षेत्र से चोरी की है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण–
01. विष्णु यादव पुत्र राधेश्याम यादव उम्र 20 वर्ष नि0 महेवा नानकार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा ।
02. अलखराम उर्फ सुत्तन यादव पुत्र दूधनाथ उम्र 22 वर्ष नि0 चौबेपुर थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–
01. मु0अ0स0–395/24 धारा 303 (2) बीएनएस थाना को देहात बलरामपुर

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–408/2025, धारा 317(2),317(5) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 अदद बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल।

02. 01 अदद हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाईकिल।
03. 01 अदद बजाज सीटी 110 मोटरसाईकिल।
04. 01 अदद बजाज प्लेटीना मोटरसाईकिल।
05. 01 अदद हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. वरि0 उ0नि0 उमेश सिंह।
02. उ0नि0 योगेश यादव।
03. उ0नि0 पिण्टू कुमार यादव।
04. मु0आ0 सुरेश कुमार यादव।
05. कां0 दुर्गेश चौधरी।
06. कां0 रवि सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 15.09.2025

ड्रोन उड़ान हेतु अनिवार्य पंजीकरण एवं कानूनी प्रावधान-

वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन कैमरा/खिलौना ड्रोन उड़ाकर माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन से चोरो द्वारा रेकी करने एवं चोरी की घटनाएं कारित करने जैसी सम्बन्धी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जिसके कारण आमजन में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। इसी के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए है :-

- प्रत्येक थाना क्षेत्र में ड्रोन पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें ड्रोन यूनिक संख्या, पायलट/मालिक का विवरण व ड्रोन मैकेनिक का ब्यौरा आदि दर्ज करवाकर ड्रोन उड़ाने की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमति उपरान्त ही ड्रोन उड़ाया जाए।
- ड्रोन केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते है। रात्रि में ड्रोन उड़ाता निषेध है। रात्रि में ड्रोन उड़ाए जाने हेतु डीजीसीए की अनुमति तथा थाने को सूचित करना अनिवार्य है। ड्रोन से निजी संपति/व्यक्ति की बिना अनुमति फोटोग्राफी या खतरनाक सामग्री ले जाना गैर कानूनी है।
- उपरोक्त नियमों के उल्लघंन पर 01 लाख रूपये तक का जुर्माना और ड्रोन रजिस्ट्रेशन का निलंबन एवं ड्रोन जब्तीकरण कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा जनता से अनुरोध है कि ड्रोन सम्बन्धी संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। सुरक्षा एवं गोपनीयता का ध्यान रखे किसी भी नियम के उल्लंघन से बचे।

गोण्डा पुलिस की आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल डायल-112 पर सूचित करें। स्वयं कानून हाथ में न लें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। बिना तथ्यों को जाने सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह को न फैलाएं तथा ऐसी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। गोण्डा पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.08.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गैर–इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–722/25, धारा 290, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सफीक पुत्र जुम्मम, 02. हाजी वसीम पुत्र खलील को घटना स्थल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.09.2025 को प्रार्थिनी सिन्धू शर्मा पत्नी स्व. राम प्रकाश शर्मा निवासी पाण्डेय पुरवा, बैदौरा बाजार, थाना खरगूपुर, गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी कि उसके पति राम प्रकाश को ठेकेदार सफीक पुत्र जुम्मन व हाजी वसीम पुत्र स्व. मो. खलील ने मकान मालिक जलील पुत्र वसीम के पुराने जर्जर मकान (मेवतियान, राजेन्द्र नगर, नौसहरा) को बिना किसी शासकीय अनुमति व सुरक्षा मानकों का पालन किए गिराने के लिए मजदूरी पर लगाया। दिनांक 14.09.2025 समय लगभग 11:30 बजे मकान गिरने से राम प्रकाश की दबकर मृत्यु हो गई तथा तीन मजदूर घायल हुए है। जिसमें ठेकेदार व मकान मालिक द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 15.09.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें के 02 वाछित अभियुक्तों–01. सफीक पुत्र जुम्मम, 02. हाजी वसीम पुत्र खलील को घटना स्थल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सफीक पुत्र जुम्मम, नि0 कटहरिया मोहल्ला इमामबाड़ा, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
02. हाजी वसीम पुत्र खलील, नि0 मेवातियान मोहल्ला, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–722/25, धारा 290, 351(3) बीएनएस, बढोत्तरी धारा 105 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सुरेश कुमार।
02. उ0नि0 रोहित रणवीर।
03. का0 सुरेश कुमार
04. का0 अंशू वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 15.09.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–177/25 धारा 305(I),331(4), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त गदोई उर्फ संतराम पुत्र स्व0 हरिराम वर्मा निवासी सुहेलवा मौजा नौबरा थावा मोतीगंज गोण्डा को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर नौबरा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी राहुल ढाका (सामु० स्वा० अधिकारी) व आरती मिश्रा (ए.एन.एम.), आयुष्मान आरोग्य मंदिर नौबरा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.09.2025 को ड्यूटी समाप्ति के पश्चात् केन्द्र का ताला बंद कर हम अपने आवास चले गए थे। दिनांक 08.09.2025 को केन्द्र पहुँचने पर देखा कि आफिस का ताला तोड़ कर अज्ञात चोरो द्वारा बैटरी इन्वर्टर, वजन मशीन (व्यस्क एवं बच्चों), एम्बू बैग, प्रिंटर, रिवाल्विंग पेपर, नेबुलाइज़र, बी.पी. मशीन, शुगर मशीन, एच.बी. मीटर, इमरजेंसी एलईडी लाइट, टेबल स्टैंड डिस्क, मॉपिक बकेट, टेबल फैन, चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 15.09.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त गदोई उर्फ संतराम को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर नौबरा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. गदोई उर्फ संतराम पुत्र स्व0 हरिराम वर्मा निवासी सुहेलवा मौजा नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–177/25 धारा 305(I),331(4),317(2) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद इनवर्टर (एमाजी कंपनी)
02. 01 अदद इनवर्टर बैटरी
03. 01 अदद कुर्सी
04. 01 अदद कटर (ताला काटने हेतु प्रयुक्त)

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 रामकेश चौधरी।
02. हेड का0 ज्ञानदेव यादव
03. का0 गंगाशरण यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।